

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ७३ / २६ / सीसी / १३—अडतीस

भोपाल, दिनांक २२-१-२०१३

प्रति,

श्री आर.एन.कपूर

अध्यक्ष

आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी
202, गंगा—जमुना काम्प्लेक्स, जोन-१ एम.पी.नगर
भोपाल (म.प्र.)

विषय:— मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव— आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी भोपाल (श्री सत्यसाई निजी युनिवर्सिटी आफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस, सीहोर)

संदर्भ:— म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क्रमांक ४० दिनांक ०९.०१.१३ एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा दिनांक ०८.०१.१३

—०—

मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा पत्र क्रमांक ४० दिनांक ०९.०१.१३ के अनुसार राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के आपकी संस्था के प्रस्ताव पर आशय—पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश, निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं विहित प्रक्रिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी।

शर्तों निम्नानुसार हैं:—

1. वह—
 - (क) मुख्य परिसर स्थापित करेगा
 - (ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करेगा।
2. वह स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम 20 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा।
3. वह प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।
4. वह निम्नलिखित प्रभाव का परिवर्चन देगा कि:—
निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्ववित्तपोषित होगा।

- (ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा ।
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल पश्चात तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय(डिसिप्लीन) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारिवृन्द सहित पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ।
- (घ) वह छात्रों के लाभ हेतु विनियामक निकाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम कियाकलाप, जैसे सेमिनार, वादविवाद, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर कियाकलाप जैसे कीड़ा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल कोडिट कोरप्स आदि, को करेगा ।
- (ङ) वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा ।
- (च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी देगा जैसा कि केन्द्रीय विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।
- (छ) विनियामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को न्यूनतम मापदण्डों में पूरा करेगा ।
- (ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा ।
- (झ) वह विनियामक निकायों के मानकों या मार्गदर्शनों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तथा फीस के निगमित को अवधारित करेगा ।
- (ञ) उसका नेशनल कॉसिल ऑफ एसेसमेन्ट एण्ड एकेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन किया जाएगा ।
- (ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबद्ध विनियामक आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा उसको समुचित पारिश्रमिक संदर्भ करेगा ।
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खुला रहेगा और जाति, पंथ धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का

उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे ।

(ङ.) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा ।

(१) नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने उपरोक्त उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करके ऐसे विशिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा ।

(२) ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निगमित हुआ समझा जाएगा ।

(ल) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

(व) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी ।

5. राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2), धारा- 8 (6) एवं 11 (1) में यथा उपबंधित आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय-पत्र में यथा उल्लेखित परिवचन देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 क. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्त्वानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट बैंक में पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निक्षेप के रूप में पांच करोड़ की विन्यास निधि स्थापित करेगा ।

6. अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निगमित हुआ समझा जाएगा ।

१८/१८/१३

(एस.के.शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ.कं. ७५ / 26 / सीसी / 13—अडतीस

भोपाल, बिहार 22-1-2013

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल, सचिवालय, राजभवन, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय निदेशक एन.सी.टी.ई. एवं अध्यक्ष / सचिव / मु.सी.आई. / डी.ई.सी. / बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड कोलार रोड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अधोसंरचना भूमि आदि की आवश्यक शर्तें नियमानुसार पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (योजना शाखा), सतपुड़ा भवन भोपाल।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल—होशंगाबाद संभाग, भोपाल।

३१/१२११३

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय